न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 18/2019 दायर तारीख 09-08-2019

1. भूराराम पुत्र मूलाराम जाति राईका निवासी गूलर तहसील परबतसर

––: अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गूलर
2. तहसीलदार पबरतसर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक जावला
4. पटवारी हल्का गूलर
5. मूलाराम पुत्र कालाराम जाति राईका निवासी गूलर

–– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत नैतियास नामान्तकरण संख्या 1412 पर पारित आदेश दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी भूराराम पुत्र मूलाराम जाति राईका निवासी गूलर ने जरिये अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया ग्राम गूलर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1214 रकबा 3.97 हैक्टयर जमीन स्थित है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 534 रकबा 24–10 बीघा था। अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं, केवल मात्र नाम दुरूस्ती हेतु नामान्तकरण अपील पेश की है। अपीलान्ट के अन्य दस्तावेज परिवार राशन कोर्ड, आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , पैन कार्ड आदि में अपीलान्ट का नाम भूराराम पुत्र मूलाराम दर्ज हैं हैं। गांव ग्राम गूलर में भूराराम पुत्र मूलाराम व भंवराराम पुत्र मूलाराम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं दोनों नामा के एक ही व्यक्ति हैं जो दोनो नामें से जाना पहचाना जाता हैं। अपीलान्ट का ग्राम गूलर के ख्सरा न्म्बर

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

1214 रकबा 3.97 हैक्टयर भूमि में राजस्व कर्मचारीयों की गलती से भंवराराम पुत्र मूलाराम अंकित हुआ हैं जबकि अपीलान्ट का सही नाम भूराराम पुत्र मूलाराम है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया हैं कि नामान्तकरण संख्या 1214 ग्राम गूलर को इस हद तक संशोधन फरमावें कि अपीलान्ट का रेंवत पुत्र मदन के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह भाटी पुत्र मदनसिंह भाटी की रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आदेश फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रमाण पत्र पेश किया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित जवाब पेश नही करना चाहते जवाब बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध कोई इस्तादुआ नहीं चाहे जाने से वकील अपीलान्ट ने तर्क किया है।

3. अपीलान्ट ने अपनी के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 1412 की प्रमाणित पति, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075–78, राशन कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, की छाया प्रतियां पेश की है।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ने प्रमाण पत्र जारी किया हैं जिसमें बताया गया हैं कि भूराराम पुत्र मूलाराम जाति राईका निवासी गूलर भूराराम उर्फ भंवराराम पुत्र मूलाराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं राजस्व रिकार्ड में इसका नाम भंवराराम हैं अन्य सभी रिकार्ड में भूराराम दर्ज हैं भूराराम दर्ज किया जाना उचित है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1214 के यह नामान्तकरण जरिये बैचान दसतावेज दिनांक 13.05.2002 पुस्तक 1 जिल्द संख्या 174 पृष्ट संख्या 59 की क्र.स. 295 के जरिये मूलाराम पुत्र लालाराम ने अपने 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से बेचान करने पर मूलाराम पुत्र कल्लाराम कौम राईका के नाम दर्ज किया गया था तथा खातेदार मूलाराम पुत्र लालाराम दिनांक 30.11.2003 को फौत होने से पूर्व दस्तावत संख्या 295/02 दिनांक 13.05.2002 को बेचान कर पंजीकृत करवा चुका हैं तत्पश्चात नामान्तकरण 1376 मृतक के वारिसान भंवराराम पुत्र मूलाराम के नाम तस्दीक हो गया अतः क्रेता के नाम उक्त दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तकरण दर्ज किया है, तत्पश्चात भू. अ. निरीक्षक द्वारा जांच की गई जिसमें नामान्तकरण में अंकित विवरण को सही होना माना हैं जिसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है।

6. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1412 क्रेता के फौत हो जाने से विक्रय पत्र के आधार पर उसके वारिस अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज किया गया हैं जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के बाद ग्राम पंचायत की साधारण सहभा की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा सजरा खानदान के आधार पर नामान्तकरण दर्ज

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

कर उसमें फौत हो चुके खातेदार मनरूप के वारिसान का नाम अंकित किया है। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण में गलत नाम अंकित करना बताया हैं। पटवारी हल्का द्वारा फौत हो चुके खातेदार के वारिसान द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के आधार पर ही नामान्तकरण में नाम अंकित किया हैं जिसको भू. अभिलेख निरीक्षक व ग्राम पंचायत की साधारण सभा बैठक में उपस्थित सभी पंच सरपंच ने सही होना मान कर ही नामान्तकरण स्वीकृत किया है। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलान्ट द्वारा यह नामान्तकरण 15 वर्ष बाद नामान्तकरण में नाम गलत अंकित होना बता कर यह अपील पेश की हैं। अपीला के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.11.2004 को उक्त स्वीकृत किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.08.2019 को उक्त नामान्तकरण अपील पेश कर उक्त नामानतकरण को खारिज कराना चाहा हैं। अपीलान्ट की उक्त अपील मयाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर हैं व तथा नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की जावे के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)